

प्रशासन मॉडेल के तहत अनियाम 2021
 प्रशासन मॉडेल के तहत अनियाम 2021
 प्रशासन मॉडेल के तहत अनियाम 2021

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पत्रित कर निकल दे कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अनियाम की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त रिपोर्ट जारी उचित है

23/11/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

1527
 23/11/21

महालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन महायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेलखंड (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निर्माकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पारव	2075-78	199	देवीसिंह पुत्र सरदार	देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1203-1204
 प्रतिरिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्तु पालनाथ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनाथ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

